PHILOSOPHY

Hons, Paper VII (Part III)

Justice (न्याय)

Dr. S.K. Singh
Mob.-9431445995

→ सामाजिक-राजनीतिक दर्शन में स्वीकृत एक महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य न्याय है। यह सामाजिक-राजनीतिक जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है जो अधिकार, स्वतंत्रता, समानता जैसी अन्य अवधारणाओं में सामंजस्य करता है। न्याय के सभी सिद्धान्त मानवीय व्यापार से संबंधित होते हैं, किसी प्राकृतिक घटना से नहीं। यह किसी भी समाज के प्रगतिशील एवं सभ्य होने के लिये एक आवश्यक शर्त है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में 'न्याय' को 'धर्म' का पर्यायवाची माना गया है।

→ न्याय का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द 'Justice' लैटिन शब्द 'Jus' से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है - 'बाँधना (Tie)'। अतः व्युत्पत्ति की दृष्टिकोण से न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्ति एक-दूसरे से संबंधित होता है। इन्हीं संबंधों के आधार पर उसके अधिकार और कर्तव्य होते हैं। इन्हीं कर्तव्यों एवं अधिकारों की व्यवस्था न्याय है।

→ समाज के बीच विभिन्न संबंध होते हैं और उन संबंधों के अपने-अपने आदर्श तथा मूल्य होते हैं। उन आदर्शों और मूल्यों को जोड़नेवाली व्यवस्था न्याय है। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व आदि कुछ ऐसे मूल्य हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे से बाँधते हैं। न्याय वह व्यवस्था है जो इन मूल्यों को जोड़ता है।

→ आधुनिक न्यायशास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।

→ समाजवादियों के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति और सामाजिक समानता की स्थापना ही न्याय है।

→ राजनीतिक सिद्धान्तों के अन्तर्गत न्याय को वितरण का गुण (Property of Distribution) माना जाता है। इस दो अर्थों में समझा जा सकता है -

(i) किसी भी व्यक्ति को उसका हक देना।

(ii) पुरस्कार अथवा सजा द्वारा गलती को ठीक करना।

यहाँ पहले अर्थ में न्याय का आशय समाज में अधिकार

Scanned with CamScanner

और कर्तव्य, भौतिक पदार्थ, प्रतिष्ठा, अवसर आदि के वितरण को सुनिश्चित करता है, जबकि दूसरे अर्थ में न्याय का सम्बन्ध कानून-व्यवस्था और दण्ड देने वाले नियमों की व्याख्या से होता है।

→ जब किसी व्यक्ति को उसका हक उसके मानव होने के आधार पर दिया जाता है तो वह न्याय प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) कहलाता है। जब व्यक्ति को उसका हक समाज के रीति-रिवाजों और परम्पराओं के आधार पर दिया जाता है तो वह न्याय प्राकृतिक न्याय (Conventional Justice) कहलाता है।

→ आधुनिक समय में न्याय के ~~मुख्य~~ मुख्यत: चार प्रकार है —

(i) कानूनी न्याय → कानूनी न्याय, न्याय के सिद्धान्त का विधि या कानून के क्षेत्र में लागु किया जाता है। इसके अन्तर्गत दो बातें ~~शामिल~~ शामिल है — न्याय के अनुसार कानून होना चाहिये और कानून के अनुसार न्याय होना चाहिये। अत: कानूनी न्याय के लिये विधि का शासन यानी कानून का शासन अनिवार्य है।

(ii) राजनीतिक न्याय → राजनीतिक न्याय का तात्पर्य यह है कि देश की ~~सारी~~ राजनीतिक प्रणाली और प्रक्रिया न्याय के सिद्धान्त पर आधारित हो। प्रत्येक व्यक्ति को देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले और सभी राजनीतिक अधिकार उसे प्राप्त हो।

(iii) आर्थिक न्याय → आर्थिक न्याय का अर्थ, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन है। देश की आर्थिक प्रणाली का संगठन इस आधार पर होना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति उसमें से अपनी योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार हिस्सा प्राप्त कर सके। सभी प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रताएँ आर्थिक न्याय के लिये आवश्यक है।

(iv) सामाजिक न्याय → सामाजिक न्याय का अर्थ है - समाज में व्यक्तियों के बीच अतर्कसंगत आधार पर भेद-भाव न किया जाये। समाज के प्रत्येक सदस्य को समाज की एक सम्मानित इकाई के रूप में मान्यता मिले।

समकालीन समय में 'सामाजिक न्याय' शब्द का प्रयोग, समाज के पिछड़े और वंचित लोगों को अधिक सुविधा देने के लिये किया जाता है।

⇒ आधुनिक प्रजातांत्रिक समाजों में न्याय के मुख्यत: तीन मानदण्ड निश्चित किये गये है — समानता (Equality), योग्यता (Merit) और आवश्यकता (Need)